न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– संजय कुमार आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या 134/2022

1. दलीप पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी महियांवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर
2. रायसाहब पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी महियांवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर
3. ओमप्रकाश पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी महियांवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर

.... **वादी**

बनाम

1. कानाराम पुत्र चुन्नीराम जाति जाट निवासी गणेशगढ तहसील व जिला श्रीगंगानगर
2. धन्न कौर पत्नी हरनाम सिंह जाति रामगढिया निवासी गणेशगढ तहसीलव जिला श्रीगंगानगर
3. निरंजन सिंह पुत्र हरनाम सिंह जाति रामगढिया निवासी गणेशगढ तहसील व जिला श्रीगंगानगर
4. भाग सिंह पुत्र हरनाम सिंह जाति रामगढिया निवासी गणेशगढ तहसील व जिला श्रीगंगानगर
5. रूकमा देवी पत्नी रतीराम जति कुम्हार निवासी 7 ई छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर
6. रायसाहब पुत्र चुन्नीराम जाति जाट निवासी गणेशगढ तहसील व जिला श्रीगंगानगर
7. परसिन कौर पतनी विचित्र सिह जाति रामगढिया निवासी डुंगरसिंहपूरा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीगंगानगर

– – **प्रतिवादीगण**

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88 188 राज. काश्तकारी अधिनियम

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1.	श्री राकेश सिहाग अधिवक्ता	वादीगण
2.	पैरोकार राज	प्रतिवादी–8

प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 27.02.2024

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से है कि चक गणेशगढ जमाबदी सम्वत 2070–2073 खाता संख्या 68/139 मु.न. 81 कि. न. 13, 18, 23 में 0.734 है. नहरी, मु.न. 82 कि.न. 18, 19, 20, 21, 22, 23 में 1.442 है. नहरी, मु.न. 109 कि.न. 1/1 ता 3/2, 8 ता 13, 18 में 2.378 है [illegible] 52 है. खाला कुल खाता 4.706 है. नहरी मय खाला आराजी [illegible] आराजी में से प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 4 के द्वारा [illegible] आराजी [illegible] अपने हक हिस्सा एव नाप दर्ज कीमतन खरीद की गयी आराजी को पूर्ण प्रतिफल लेकर जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा मु.न. 81 कि.न. 13, 18, 23 की 2 बीघा 18 बिस्वा आरा[illegible] को दिनांक 29.06.1970 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.04.27 12:53:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

प्रतिवादी संख्या 7 परसिन कोर पत्नी विचित्र सिंह के हक में हस्तांतरित कर दिया था एव आराजी वादाधीन में परसिन कौर पत्नी विचित्र सिंह बरोज बैयनामा से ही आराजी पर काबिज होकर काश्त करती रही थी। वादाधीन आराजी में प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 4 के नाम से दर्ज आराजी प्रतिवादी संख्या 7 के हक मे जरिये बैयनामा हस्तांतरित होने के उपरान्त प्रतिवादी संख्या 7 के द्वारा जरिये बैयनामा से कीमतन खरीद की हुयी आराजी को पूर्ण प्रतिफल लेकर मु.न 81 कि. न. 13, 18, 23 की 2 बीघा 18 बिस्वा नहरी आराजी को जरिये बैयनामा से दिनांक 21.05.1974 को उपपंजीयक श्रीगंगानगर के समक्ष उपस्थित होकर वादीगण के हक में ब.हि.ब. हस्तांतरित कर दिया था एव आराजी वादाधीन परसिन कौर के द्वारा अन्य सहकाश्तकारान के साथ हुये बंटवारानूसार खरीद की गयी आराजी को वादीगण के हक में हस्तांतरित कर दिये जाने के रोज से ही वादीगण आराजी वादाधीन में मु.न. 81 कि. न. 13, 18, 23 की 0.734 है. नहरी यानि 2 बीघा 18 बिस्वा नहरी आराजी पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। वादाधीन आराजी मेंवादीगण के हक हिस्सा व कब्जा काश्त की कीमतन खरीद की गयी आराजी को बैयनामा के आधार पर वादीगण के नाम से दर्ज किये जाने के लिये राजस्व कर्मचारि पटवारी हल्का को वादीगाण ने बैयनामा कीप्रति दे दी थी परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में आराजी वादाधीन को राजस्व कर्मचारियो के द्वारा दर्ज नही किये जाने के कारण वादीगण को अपने हक हिस्सा एव कब्जा काश्त की कीमतन खरीद की हुयी किला विशेष आराजी में बैंक ऋण रकम अदायगी व अन्य सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने व पानी की बारी आदि मे काफी परेशानियों का सामना करना पडता है एव आराजी नाम दर्ज नही होने के कारण वादीगण को अपने हकहिस्सा की आराजी किसी प्रकार की सुविधा का लाभ नही मिल पा रहा है एव नाम दर्ज नही होने के कारण वादीगण को प्रतिवादीगण के द्वारा आराजी हस्तांतरित किये जाने व किला विशेष आराजी से बेदखल किये जाने का अंदेशा लगा रहता है जिस कारण वादीगण अपने हकहिस्सा की आराजी को मन लगाकर काश्त कर पाने मे असमर्थ है इसलिए वादीगण वादाधीन अपने हकहिस्स व कब्जा काश्त की मुताबिक बैयनामा कीमतन खरीदशुदा किला विशेष आराजी की खातेदारी घोषणा प्राप्त कर खाता अलग कायम करवाने के कानूनन हक अधिकारी है। वादीगण ने कई बार प्रतिवादीगण से निवेदन किया कि वे लोग सहमति के आधार पर आराजी वादाधीन में वादीगण के कीमतन खरीदशुदा किला विशेष आराजी को वादीगण को खातेदार काश्तकार स्वीकार कर लेवें व किसी सक्षम अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर आराजी राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के नाम से मुताबिक बंटवारानूसार प्राप्त किला विशेष दर्ज करवा देवे व अपना अपना खाता अलग अलग कायम करवा लेवे तो पहले तो प्रतिवादीगण आज कल आज कल करते रहे परन्तु कुछ दिन टाल मटोल करने के उपरान्त दिनांक 17.07.2022 को वादीगण की बात मानने से बमुकाम चक गणेशगढ मे स्पष्ट इन्कार हो गये और वादीगण को ऐलानिया कहा कि हम तो किसी बंटवारा को नही मानते एव ना ही खाता अलग करवाने मे कोई सहमति देगें आपको जो करना है कर लो बस यही बिनाय दावा है । वादाधीन आराजी में से प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 4 के द्वारा 1970 में आराजी को प्रतिवादी संख्या 7 के हक मे हस्तांतरित कर दिया गया था एव प्रतिवादी संख्या7 से वादीगण ने जरिये बैयनामा से आराजी वादाधीन को 1974 मे कीमतन खरीद की है एव आराजी वादाधीन में लगातार बिना किसी बाधा के काबिज होकर काश्त करते आ रहे है एवं आराजी राजस्व रिकॉर्ड मे वादीगण के नाम से मुताबिक बंटवारानूसार दर्ज नही होने के कारण वादीगण को प्रतिवादीगण के द्वारा बेदखल किये जाने का अंदेशाल लगा रहता है एव राजस्व रिकॉर्ड मे आराजी दर्ज नही होने के कारण प्रतिवादीगण के द्वारा आराजी को पूनः बेचान किये जाने

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.04.27 12:53:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

का अंदेशा लगा रहता हैव आराजी मे वादीगण को किसी प्रकार से सरकारी सुविधाओं का लाभ नही मिल पा रहा है जिस कारण वादीगण को आर्थिक क्षति कारित हो रही है एव अगर प्रतिवादीगण आराजी को राजस्व रिकॉर्ड की आड मे रहन वैय कर देते है तो वादीगण अपने हक हिस्सा से हमेशा हमेशा के लिये वंचित हो जायेगें और वादीगण को बहुत भारी क्षति कारित होगी जिसकी पूर्तिकिसी प्रकार के हर्जाना से नही हो सकेगी। इसलिए वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्व इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है कि प्रतिवादीगण वादाधीन आराजी को राजस्व रिकॉर्ड की आड मे रहन बेय आदि दीगर तरीके से हस्तांतरित करने एव वादीगण की कब्जा काश्त में दखलअंदाजी करने से बाज वममनू रहे। इस बाबत वादीगण का प्रथम दृष्टया मामला बखूबी बनता हैएव सुविधा का सन्तुलन भी वादीगण के हक मे है। प्रतिवादीगण संख्या 8 लैण्ड होल्डर है इसलिए दावा हाजा में बतौर प्रतिवादीगण आवश्यक रूप से पक्षकार बनाया गया है। दावा श्रीमान जी के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है जो कि अन्दर मियाद श्रीमान जी के समक्ष पेश है। दावा मे घोषणा एव खाता तकसीम व स्थायी निषेधाज्ञा का अनूतोष चाहा गया है इसलिए वाद वादीगण 3 रूपये की उचित कोर्ट फीस पर श्रीमान जी के समक्ष पेश है। लिहाजा वाद वादीगण मय शपथ पत्र दो प्रतियों मे पेश कर निवेदन है कि वाद वादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावेः–

(क) यह कि चक गणेशगढ जमाबदी सम्वत 2070–2073 खाता संख्या 68 / 139 मु. न. 81 कि.न. 13, 18 प्रत्येक में 0.253 है. नहरी, कि.न. 23 में0.228 है. नहरी कुल 0.734 है. नहरी आराजी में वादीगण संख्या 1 ता 3 को ब.हि.ब. का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं इस हद तक प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 का नाम कलमजन किया जावे।

(ख) यह कि अनूतोष की मद संख्या क में वर्णित आराजी अनूसार वादीगण का खाता अलग कायम किया जाकर रेवेन्यू अलग से कायम की जावे ।

यह कि इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि प्रतिवादीगण वादाधीन आराजी को रहन बेय आदि दीगर तरीके से हस्तांतरित करने एव वादीगण की कब्जा काश्त में दखलअंदाजी करने से बाज व ममनू रहे ।

(ग) यह कि अन्य कोई अनूतोष जो अदालतवाला वादीगण के हक मे उचित समझे फरमाया जावे ।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की तलबी साधारण सम्मन से नहीं होने पर वादी के निवेदन पर प्रतिवादीगण के सम्मन जरिए सम्माचार पत्र साया करवाये गये। प्रतिवादीगण की तलबी हेतु सम्मन अखबार में साया करवाने के उपरान्त भी प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के उपस्थित नहीं आने पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रकरण में प्रश्नगत आराजी के सम्बन्ध में वादीगण के काब्जा काश्त एवम् वस्तुस्थिति की रिपोर्ट तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर से प्राप्त की गई। तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा जरिए क्रमांक 629 / 09.02.2024 के रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसके मुताबिक वादीगण प्रश्नगत आराजी चक गणेशगढ के खाता संख्या 68 के मुरबा नम्बर 81 के किला नं. 13, 18, 23 पर लगभग 50 वर्षों से काबिज है एवं काश्त कर रहे है एवं ... पर ... कर फसल काश्त की हुई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.04.27 12:53:04 IST
Reason: SelfAttested

वकील वादी की बहस सुनी गई। वकील वादी द्वारा निवेदन किया गया कि प्रकरण में समस्त पक्षकारान के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही हो चुकी है। प्रकरण में तहसीलदार श्रीगंगानगर से प्रस्ताव मंगवाया जाकर प्रकरण का निर्णय किया जावे। पत्रावली पर प्रस्तुत

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

(अनवान दलीप बनाम कानाराम
राजस्व वाद संख्या :– 134/2022)

अभिलेखीय दस्तावेजात एवं रजिस्टर्ड बैयनामा 23.07.1974 एवं तहसीलदार श्रीगंगानगर की रिपोर्ट के आधार पर वादीगण को चक गणेशगढ के खाता संख्या 68 के मुरबा नम्बर 81/90 के किला नं. 13, 18, 23 का खातेदार घोषित किया जाकर वाद प्राथमिक रूप से स्वीकार योग्य पाये जाने पर वादीगण अपना खाता विभाजन करवाने के अधिकारी पाये जाने पर वाद वादीगण प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया। तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रकरण में जरिए कमांक/भू.अ./983 दिनांक 23.02.2024 के विभाजन प्रस्ताव प्रेषित किया गया। तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव पर वकील वादीगण द्वारा अनापत्ति जाहिर करते हुए तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वाद डिकी किये जाने का निवेदन किया गया।

।। आदेश ।।

अतः वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर वाद निम्न प्रकार से डिकी किया जाता है :–

क.सं.	खातेदार का नाम	रकबा का विवरण
1	दलीप, रायसाहब, ओमप्रकाश पुत्रगण मनीराम जाति जाट निवासी महियांवाली	चक गणेशगढ मुरबा नम्बर 81 किला नं. 13, 18, 23 रकबा 0.734 हैक. बहिस्सा बराबर

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। नियमानुसार पर्चा डिकी हेतु स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करे। उक्त वर्णित भूमि पर ऋण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी एवम् उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 27.02.2024 को जारी किया गया।

(संजय कुमार)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.04.27 12:53:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner